परिशिष्ट "ञ"

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

कालीदास शिक्षण समिति के संबंध में प्रपत्र "क" तारांकित प्रश्न क्रं.288
वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त शिकायत व उसका निराकरण

क्रं.	दिनांक	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का विवरण	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
1.	30.11.15	श्री विमल नागौरी एडवोकेट एवं श्री उमेश जोशी पत्रकार द्वारा कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत शिकायत, अनुविभागीय अधिकारी नीमच पत्र क्रं.4144 दि.16. 12.15 से प्राप्त। (छायाप्रति संलग्न)	नपा द्वारा 15.12.55 को छात्रावास निर्माण समिति नीमच को 4,32,000 वर्गफीट भूमि केवल छात्रावास निर्माण हेतु दी गई। नपा द्वारा उक्त भूमि मात्र 15000 में देना निश्चित किया गया। समिति के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य जमीन का एक बडा भाग बेच चुके है व वर्तमान अध्यक्ष व सदस्य इस भूमि को भारी रकम लेकर बेच रहे हैं, जमीन किराये पर देकर किराये वसूल कर रहे है। समिति सदस्यों द्वारा एक निजी कालेज भी खोल दिया है जिससे भरी आमदनी हो रही है। उक्त जमीन नगर के मध्य होकर अरबों रूपये की हो चुकी है। समिति इस जमीन को बेच कर स्वयं अरबों रूपये कमाना चाहते हैं। इसलिय जमीन का कब्जा समिति से ले लिया जावे।	अध्यक्ष, कालीदास शिक्षण समिति नीमच को नपा नीमच द्वारा पत्र क्रं.45/रा.वि./16 दि.25.01.16 एवं पत्र क्रं.54/रा.वि./16 दि.06.02.16 तथा पत्र क्रं.85/रावि/16 दि.17.02.16 (छायाप्रति संलग्न) सूचना पत्र जारी कर शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया। समिति द्वारा दि.03.02.2016 (छायाप्रति संलग्न) को उत्तर प्रस्तुत किया कि नपा नीमच ने अपने संकल्प क्रं.440 दि.15.12.55 से कालीदास शिक्षण समिति को 540 बाय 800 व.फी. भूमि दी है जो बिना किसी शर्त के स्वामित्व व स्वत्व के अंतर्गत दी है व तब से उक्त भूमि पर समिति का आधिपत्य अपने स्वत्वों के अंतर्गत चला आ रहा है। कालीदास शिक्षण समिति द्वारा छात्रावास निर्माण कराया गया है। छात्रावास बिल्डिंग की देखरेख आदि कार्य हेतु भुगतान की व्यवस्था न होने के कारण उक्त बिल्डिंग के चारों दिशाओं की ओर की खुली भूमि विभिन्न लोगों को मासिक किराये पर देकर प्राप्त किराया राशि से उक्त व्यय का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाता रहा है। संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति को भूमि का विक्रय नहीं किया गया है। भूमि का उपयोग संस्था के द्वारा किया जा रहा है। छात्रावास समिति द्वारा वर्ष 1989 में दुकान निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर, विधिवत् सूचना पत्र प्रेषित कर कार्य बंद कराया गया जिस पर कालीदास शिक्षण समिति द्वारा मान.म.प्र.उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क.1295/89 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दि.03.07.1998 पारित कर
2.	07.01.15	श्री विमल नागौरी एडवोकेट एवं श्री उमेश जोशी पत्रकार द्वारा कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत शिकायत, अनुविभागीय अधिकारी नीमच पत्र क्रं.363 दि.29. 01.16 से प्राप्त (छायाप्रति संलग्न)	यह भूमि कालीदास शिक्षण समिति को नगरपालिका नीमच द्वारा कभी भी आवंटित नहीं की गई व समिति ने इस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। समिति ने कभी भी भूमि की लीज का पंजीयन नहीं कराया ,समिति के पास लीज आवंटन के कोई दस्तावेज भी नहीं हैं। समिति का रजिस्ट्रेशन के बाद भूमि के संबंध में नपा का कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है। इस समिति (कालीदास शिक्षण समिति) का गठन लगभग 7–8 वर्ष पूर्व सन् 1955 में छात्रावास निर्माण समिति को जमीन आवंटन का प्रस्ताव पास किया गया था, प्रस्ताव अनुसार कभी भी लीज आवंटन का दस्तावेज निष्पादित नहीं हुआ। छात्रावास निर्माण समिति का न कोई अस्तित्व है न ही संस्था जीवित है। सन्	

(परमेश्वर जलोटे)
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन

			1955 के 5 वर्ष बाद कुछ लोगों ने मिलकर एक कालीदास शिक्षण समिति गठित कर ली और उन्होंने भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। समिति के पास लीज का कोई दस्तावेज नहीं है, यदि हो तो पेश करना चाहिए। उक्त जमीन को जांच कर अतिक्रमण से मुक्त करना चाहिए।	याचिकाकर्ताओं को निर्माण अनुमति हेतु नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने व एक माह की अवधि में आवेदन पत्र का युक्तियुक्त निराकरण करने के आदेश दिये गये, मान.न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिये गये कि आवेदन पत्र के अंतिम निराकरण तक निर्मित दुकानें तोड़ी नही जावें। कालीदास शिक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत नवीन निर्माण अनुमति आवेदन पत्र पर कार्यवाही कर, सहायक संचालक नगर तथा ग्रामीण निवेश नीमच के पत्र क.539 दि.06.10.1998 अनुसार पत्र क्र.लो.नि./तीन/3/173/98-99/93 दि.11.01.1999 से तत्समय दुकान निर्माण की अनुमतियां जारी की गई है। छात्रावास समिति को आवंटित भूमि में से अम्बेड़कर मार्ग पर स्थित भूमि व्यवसायिक उपयोग हेतु कई वर्षों पूर्व से किराये पर दी गई हैं। नीमच नगर के स्वीकृत मास्टर प्लान अनुसार अम्बेडकर मार्ग व्यवसायिक उपयोग हेतु स्वीकृत है। इस प्रकार छात्रावास समिति के स्वत्व व कब्जे के आधार पर निकाय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई हैं, साथ ही नगरपालिका नीमच द्वारा पेट्रोल पम्प हेतु छात्रावास समिति द्वारा दी गई भूमि के विरूद्ध मान.म.प्र.उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष याचिका क्रं.1123/09 प्रस्तुत की गई है, जो अंतिम सुनवाई हेतु न्यायालय में विचाराधीन है।
3	28.06.16	श्री उमेश जोशी पत्रकार (छायाप्रति संलग्न)	दि.15.12.55 को छात्रावास निर्माण समिति को 4,32,000 भूमि नपा ने प्रस्ताव क्रं.440 से देना स्वीकार किया गया था, जिस पर महाअधीक्षक महोदय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक थी। इस छात्रावास निर्माण समिति का आज कोई पता ठिकाना अस्तित्व नहीं है, इस नाम की कोई संस्था विद्यमान नहीं है। प्रस्ताव क्रं. 440 में किस भूमि का उल्लेख है स्पष्ट नहीं है। छात्रावास निर्माण के नाम पर भूमि की लीज डीड निष्पादित पंजीकृत नहीं हुई है। संभवतः 1965 के आस एक कालीदास शिक्षण समिति गठित की गई, जिसने लाखों फीट जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और यह भ्रम फैला दिया कि यह भूमि उसे आवंटित है। समिति का भूमि पर अवैध कब्जा अतिक्रमण है, समिति ने बिना अधिकार के भूमि का बड़ा भाग अंतरित कर दिया है और उससे हजारों लाखों रुपये कमा रहे हैं। समिति का अवैध कब्जा हटाकर नपा आधिपत्य ले व धोखापूर्ण अंतरण के कारण समिति पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए।	

(परसैक जलोटे)
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद , नीमच